महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/ 2018-2019 / 1250 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 10-1- , 2019

समस्त आहरण वितरण अधिकारी

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

चालू वित्तीय **वर्ष** 2018-2019 के अन्तर्गत मद संख्या-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में मुख्यालय पर बजट समाप्त हो चुका है, जबकि कतिपय जनपदों द्वारां उक्त मद में बजट की मॉग की जा रही है, जिसके दृष्टिगत उक्त मद में पुनर्विनियोजन तत्काल शासन से कराया जाना है। सम्भवत: चालू वित्तीय वर्ष के माह जनवरी व फरवरी-2019 का ही वेतन आहरित किया जाना ही अवशेष होगा।

अतएवं उक्त के क्रम में निर्देश दिये जाते है कि आप अपने कार्यालय के माह दिसम्बर-2018 के वेतन की मदों में (01,03 व 06 ग्रुपिंग के अन्तर्गत) किये गये व्यय के आधार पर दो माह का वेतन, एरियर, वाहन चालक व पुलिस कर्मियों का स्पेशल पे इत्यादि का ऑकलन कर आवश्यकता से अधिक **धनराशि का समर्पण तत्काल** करना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि **वेतन की मदों में** बजट की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो **बजट की मॉग** निर्धारित निम्न प्रारूप पर करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि अपने कार्यालय से सम्बन्धित आवश्यक मदों में वास्तविक बजट की मॉग सिर्फ निर्धारित निम्न प्रारूप पर ही औचित्य के उल्लेख सहित *(यदि बकाया हो तो लम्बित बिलों की सूची जिसमें फर्म का नाम, बिल सं0, तिथि एवं धनराशि अंकित की जाय)* किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही मानक मद-49 चिकित्सा में शासनादेश / वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार देय बिलों में निहित धनराशि की ही मॉग की जाए।

प्रारूप-2

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2016-2017 का कुल वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2017-2018 का कुल वास्तविक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अब तक आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अब तक का व्यय	अवशेष (4-5)	अवशेष अवधि का अनुमानित व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-2019 का कुल अनुमानित व्यय (5+7)	इस वर्ष के लिये अतिरि त मॉग की धनराशि (8-4)	औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

यह भी अवगत कराना है कि मुख्यालय द्वारा जनपदों को आवंटित बजट स्टेशनरी की मितव्ययिता व बजट की प्रति की तुरन्त उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये अधिकॉशत: बजट की प्रति वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट **comtax.up.nic.in** पर अपलोड कर दी जाती है। अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर विभागीय वेबसाइट की बॉयी ओर नीचे की तरफ बने GST NOTIFICATION / GO / CIRCULARS / ORDER -**BUDGET ALLOTMENT** नामक FOLDER/TAB पर जाकर चेक करने के पश्चात् अपने कार्यालय से सम्बन्धित बजट को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य, कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।